न्यायालय न्याय निर्णयन अधि[redacted]तिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
04 / 2017 प्रा.पत्र / 2017	31.01.2017	11.07.2025

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री महावीर प्रसाद धाकड पुत्र श्री छोटू लाल एफ.बी.ओ. मैसर्स विकास किराणा स्टोर नैनवा रोड चौराहा बस स्टैण्ड के पास पलाई तह. उनियारा जिला टोंक राज0 निवासी कचरावता तह0 उनियारा जिला टोंक (राज0)।
2– मैसर्स विकास किराणा स्टोर नैनवा रोड चौराहा बस स्टैण्ड के पास पलाई तह. उनियारा जिला टोंक राज0 निवासी कचरावता तह0 उनियारा जिला टोंक (राज0)।
3–श्री हरिनारायण शर्मा पुत्र श्री नारायण प्रोपरायटर मैसर्स सपना ट्रैडिंग कम्पनी सदर बाजार उनियारा जिला टोक(राज0)निवासी नगर पालिका के पीछे उनियारा जिला टोंक राज0।
4–मैसर्स सपना ट्रैडिंग कम्पनी सदर बाजार उनियारा जिला टोक(राज0)
5–श्री विश्राम जाट पुत्र श्री रतनलाल प्रोपरायटर मैसर्स राज श्री प्रोडक्ट नया गॉव नसीराबाद बायपास किशनगढ जिला अजमेर राज0। निवासी 181, कन्या पाठशाला के पास रेहलाना दूदू जिला जयपुर राज0।
6– मैसर्स राज श्री प्रोडक्ट नया गॉव नसीराबाद बायपास किशनगढ जिला अजमेर राज0।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी सं0 1 ता 4 अनु. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 5 श्री जितेन्द्र जैन उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 11/7/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.06.2016 को समय 07:42 पी.एम. पर मैसर्स विकास किराणा स्टोर नैनवा रोड चौराहा बस स्टैण्ड के पास पलाई तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री महावीर प्रसाद धाकड पुत्र श्री छोटू लाल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स विकास किराणा स्टोर नैनवा रोड चौराहा बस स्टैण्ड के पास पलाई तह. उनियारा जिला टोंक पर खादय पदार्थ गुड, तेल, घी व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री महावीर प्रसाद धाकड पुत्र श्री छोटू लाल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महावीर प्रसाद धाकड पुत्र श्री छोटू लाल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री महावीर प्रसाद धाकड की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में घी, तेल, चाय मसाले, कन्फैक्शनरी आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **घी श्री रॉयल गोल्ड मूल पैक (Ghee Shree Royal Gold original pack)** भी दुकान की रैक में 449–449 ग्राम के 20 सील पैक नग दुकान में वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री महावीर प्रसाद धाकड पुत्र श्री छोटू लाल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री महावीर प्रसाद धाकड पुत्र श्री छोटू लाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि **घी श्री रॉयल गोल्ड मूल पैक(Ghee Shree Royal Gold original pack)** की 449–449 ग्राम के 4 नग मूल पैक वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी श्री रॉयल गोल्ड मूल पैक(Ghee Shree Royal Gold original pack)** ज्यों का त्यों साफ प्रिंटेड 449–449 ग्राम के 4 पैकेट को ज्यों का त्यों अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर, एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1365 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1365 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता महावीर प्रसाद धाकड पुत्र श्री छोटू लाल मैसर्स विकास किराणा स्टोर नैनवा रोड चौराहा बस स्टैण्ड के पास पलाई तह. उनियारा जिला टोंक ने बतौर वारन्टी मैसर्स सपना ट्रैडिंग कम्पनी सदर बाजार उनियारा जिला टोक का एवं मैसर्स सपना ट्रैडिंग कम्पनी ने बतौर वारन्टी मैसर्स राज श्री प्रोडक्ट नया गॉव नसीराबाद बायपास किशनगढ जिला अजमेर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/2729 दिनांक 08.07.16 के द्वारा ज्ञात हुआ कि

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एल0एस0/385/एफ.एस.एस.ए./16/435 दिनांक 16.06.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी श्री रॉयल गोल्ड मूल पैक (Ghee Shree Royal Gold original pack)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zz)(iv) का उल्लंघन करने के कारण असुरक्षित **(unsafe)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

निर्माता फर्म मैसर्स राज श्री प्रोडक्ट नया गॉव नसीराबाद बायपास किशनगढ जिला अजमेर राज0 को जांच रिपोर्ट की सूचना मिलने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने धारा 46 के अन्तर्गत पुनः नमूना जांच करवाने हेतु अपील आवेदन किया, जिस पर नमूना पुनः जांच करवाने हेतु निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर भिजवाया गया।

निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर की जाचं रिपोर्ट क्रमांक एफटी/एक्यूसीएल/एफ.एस. एस.ए./395 एफ/2016 दिनांक 06.12.2016 के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए की धारा **3(1)(zx)** के उल्लंघन के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य हैं। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 अनुपस्थित रहे अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 5 व 6 की ओर से अभिभाषक श्री जितेन्द्र जैन उपस्थित हुए एवं एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी श्री रॉयल गोल्ड मूल पैक(Ghee Shree Royal Gold original pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी श्री रॉयल गोल्ड मूल पैक(Ghee Shree Royal Gold original pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया है, अतः अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को दोषमुक्त किया जाता है। तथा अप्रार्थी सं. 5 व 6 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0